न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान पूर्णराम बनाम भादरराम आदि

प्रकरण का प्रकार 225 आरटीएक्ट क्रमांक०५सन 2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
20.02.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय का आदेश अपीलाण्ट को सुने बिना एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ना तो रिकार्डेड खातेदार हैं तथा ना ही प्रथम दृष्टया प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष सिद्ध करवाये हैं। अरसादराज से अपीलाण्ट व सव0 पतराम के अन्य वारिसान एव पूर्व में अपीलांट के पिता अभिलिखित खातेदार कातश्कार दर्ज रहे हैं। उक्त परिस्थितियों कानूनन अपीलाण्ट को सुने बिना एकपक्षीय स्थगन आदेश प्रसारित नही किया जा सकता है। नियमानुसार एकपक्षीय सागिन 30 दिवस के भतर निस्तारित किया जाना आवश्यक होता है। अपीलाण्ट द्वारा बार बार निवेदन किये जाने पर एव जवाब प्रस्तुत करने के बाद भी आवेदन पत्र धारा 212 आरटीएक्ट का निस्तारण निर्धारित अवधि के भीतर नही किया गया है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 अपीलाधीन आदेश की आड़ में प्रश्नगत भूमि पर दखलंदाजी करने पर उतारू है अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो अपीालण्ट को अपूर्णीय क्षति हेागी। अतः अपील में स्थगन आदेश स्वीकार किया जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आ चुके हैं एवं जवाब प्रस्तुत कर दिया है। अपीलाण्ट ने बिना किसी आधार के अपील पेश की है। वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के पूर्वजों की थी जिसे बिना किसी आधार के अपीलाण्ट ने अपने नाम दर्ज करवा ली है । यदि उक्त भूमि को रहन बैय कर दिया जाता है तो पक्षकारों के मध्य विवाद बढेगा एवं वाद पत्र बेसुध हो जायेगा। अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध है एवं अपील मियाद बाहर भी प्रस्तुत की गई है। विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कोई समुचित	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

कारण नहीं बताया है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरा नं. 17 की 8.713 है0 भूमि बाबत घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। घोषणा के आधार यह है कि वादग्रस्त भूमि सुखराम पुत्र दुलाराम के नाम से थी। जिसे गलत रूप से अपीलाण्ट ने अपने नाम दर्ज करवा ली है। यह तथ्य प्रार्थना–पत्र की अंतिम बहस में ही निर्धारित होगा की रेस्पोडेण्ट का वादग्रस्त भूमि में काई हित है अथवा नही व स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं। अधीनस्थ न्यायालय में दोनो पक्ष उपस्थित आ चुके हैं एवं प्रार्थना–पत्र का अंतिम निस्तारण होना है इसलिए न्यायहित में अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मूल प्रार्थना–पत्र का दोनों पक्षों को सनकर दो माह में निस्तारण करे। तब तक उभयपक्ष वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

25/4/25

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़